

20.04.2024 पत्रावली पेश हुई।

आपिपक्ता वादीया एवं वादीया अनुपामि।

रुक् - रुक् कर तीन कर आवाज लगवाई
गई शवजुः इससे कोई अप्रामित नहीं।
इससे प्रतीत होता है कि वादीया एवं
आपिपक्ता वादीया अपने दावे को लेकर
गम्भीर नहीं हैं अतः दावा अदम हानिदी
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फंक्शन शुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर डाखिल दफ्तर
है।

(पुनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

